

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 993 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 10 / 11 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. राकेश पलिया पुत्र रामेश्वर दयाल पलिया, उम्र 38 वर्ष।
निवासी :- ग्राम वीरपुरा, थाना :- गोहद, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 09 / 02 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी राकेश पर धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 30/08/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे मौ—गोहद लोकमार्ग पर हरनाम पुरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी कमलेश की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 30/08/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे मौ—गोहद लोकमार्ग पर हरनाम पुरा के सामने, वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी कमलेश को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी कमलेश द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ की चौकी झॉकरी में की जाने पर, चौकी झॉकरी में वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। उक्त जीरों की एफआईआर के आधार पर थाना मौ में वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 296/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी/आहत कमलेश के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी

राकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी राकेश द्वारा पेश करने पर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 मय दस्तावेज की छायाप्रति जप्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जप्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। साक्षीगण नारायण श्रीवास, कालीचरन, उमराव एवं पुत्तू के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त राकेश पलिया के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी राकेश ने दिनांक :- 30/08/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे मौ-गोहद लोकमार्ग पर हरनाम पुरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी राकेश ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी कमलेश की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी राकेश ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी कमलेश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना भादौ के महीने की मौरछठ वाले दिन की शाम 04 बजे की

थी, उस दिन वह मोटर साईकिल से गोगई मौरछठ देने के लिए जा रहा था, जब वह हरनाम पुरा के सामने पहुँचा, तब चितौरा की तरफ से एक दो पहिया वाहन आया और वह तेजी से चली आ रही थी और उसने उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मारी, टक्कर लगने से उसके दाहिने पैर में चोट आई थी, जिससे वह फैंक्चर हो गया था और उसके बाये हाथ में चोट आई थी। टक्कर मारने वाली गाड़ी का नम्बर 2462 था। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर मारने वाले चालक को उसने उस दिन देख लिया था, जिसे वह पहचानता है। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मौ में लिखाई थी। घटना के बाद उसका ईलाज मौ में हुआ, जहाँ से उसे डॉक्टरों ने बिरला अस्पताल ग्वालियर के लिए रैफर कर दिया था।

09. फरियादी/आहत कमलेश अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह कहना है कि टक्कर लगने के बाद उसने दुर्घटनाकारित करने वाली गाड़ी का नम्बर देख लिया था, दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन पर आरोपी राकेश एवं एक अन्य व्यक्ति बैठा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में साक्षी यह दर्शित करता है कि वह आरोपी राकेश को पहले से ही जानता है, क्योंकि आरोपी राकेश उसके गांव में आता-जाता रहता है। उल्लेखनीय है कि यदि आहत फरियादी कमलेश अ.सा.01 आरोपी राकेश को पहले से ही जानता था, तो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में वह आरोपी राकेश का नाम जीरो पर लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 में अवश्य ही लिखाता, जो कि उसके द्वारा नहीं लिखाया गया। दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को पूर्व से पहचानते हुये भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम लेखबद्ध ना कराना आरोपी राकेश द्वारा आरोपित दुर्घटनाकारित करने के तथ्य को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है। उल्लेखनीय यह भी है कि जीरों पर कायम की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 पर कथित रूप से रिपोर्ट लेखबद्ध कराने वाले फरियादी कमलेश के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश की पहचान के संबंध में फरियादी कमलेश अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अत्यंत संदेहास्पद है।

10. साक्षी उमराव अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/04/2015 से लगभग छः-सात महीने पहले शाम 04:00 बजे की थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके चाचा कमलेश का एक्सीडेंट हो गया है, तो उस दिन वह हरनामपुरा रोड़ पर पहुँचा, तो वहाँ पर उसके चाचा कमलेश डले हुये थे और उनके साथ में पुत्तू भी था। उन्होंने उसे बताया था कि राकेश ने मोटर साईकिल से उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है। उन्होंने मोटर साईकिल का नम्बर एम.पी.07/2462 बताया था, जो कि झोंकरी की तरफ से आ रही थी और उसके चाचा गोहद की तरफ से जा रहे थे। आरोपी की गाड़ी तेजी से आ रही थी और उसके चाचा ने साइड से मोटर साईकिल खड़ी कर ली और सामने से आ रही मोटर

साईकिल ने उसके चाचा की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी आगे कहता है कि वह एक्सीडेंट के बाद चाचा को लेकर रिपोर्ट के लिए आये थे, पुलिस वहाँ गई थी, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि कमलेश को पैर एवं हाथ की कोहनी में चोट आई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में साक्षी उमराव अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे जैसा पुत्तू एवं कमलेश ने बताया था, वैसे ही वह बता रहा है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र होना प्रकट होता है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. साक्षी नारायण अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04 / 10 / 2016 से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की होकर दोपहर लगभग तीन-चार बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह उसके चाचा कमलेश के साथ मोरछठ देने के लिए गोहद जा रहे थे, उसके चाचा आगे मोटर साईकिल पर थे तथा पीछे वह एवं उमराव मोटर साईकिल पर थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके चाचा कमलेश की मोटर साईकिल पुत्तू चला रहा था एवं वह अपनी मोटर साईकिल चला रहा था। जब वह हरनामपुरा के पास पहुँचा, तभी गोहद की तरफ से राकेश पलिया अपनी मोटर साईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये लाये एवं उसके चाचा कमलेश की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल का क्रमांक एम.पी.07 / के.एल. / 2462 था। टक्कर लगने से उसके चाचा का दाहिना पैर फैंक्चर हुआ था एवं पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में नारायण अ.सा.05 का कहना है कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा की गई थी, उसके साथ चाचा कमलेश अ.सा.01 रिपोर्ट करने गये थे। जबकि कमलेश अ.सा.01 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 किसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी, इस वावत् कमलेश अ.सा.01, नारायण अ.सा.05 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में नारायण अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसे घटना की सूचना गांव में मिली हो और उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उमराव ने उससे कहा था कि चाचा कमलेश अ.सा.01 का एक्सीडेंट हो गया है, तभी वह गांव से चला था। इस प्रकार उसे घटना की सूचना गांव में मिली थी, अथवा नहीं और वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है अथवा अनुश्रुत साक्षी इस वावत् नारायण अ.सा.05 के प्रति-परीक्षण में दर्शित तथ्यों के मध्य ही विरोधाभास है। उल्लेखनीय है कि नारायण अ.सा.05 ने उसके अभिसाक्ष्य में स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी एवं दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश को पहचानना दर्शित किया है। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नारायण

अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि उसे रिपोर्ट लिखाते समय आरोपी का नाम पता होता तो वह उसके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट करता। नारायण अ.सा.05 के पुलिस कथन में भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश का नाम या उक्त चालक की कद-काठी, रूप-रंग आदि पहचान संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। इस प्रकार साक्षी नारायण अ.सा.05 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, अथवा नहीं, इस वावत् उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अत्यंत संदेहास्पद है।

12. साक्षी पुत्तू बघेल अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 17/08/2017 से लगभग तीन वर्ष पूर्व की होकर दोपहर चार बजे की झोंकरी एवं चितौरा के बीच हरनामपुरा के पास की है। साक्षी आगे कहता है कि वह एवं कमलेश श्रीवास मोरछठ देने जा रहे थे, तभी राकेश पलिया की गाड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलकर आई और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से कमलेश के पैर एवं सिर में चोट आई, जिससे कमलेश का पैर टूट गया था। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसके सीधे हाथ की वाह में चोट आई थी। दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल का नम्बर 2462 था, पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में पुत्तू बघेल अ.सा.08 ने यह दर्शित किया है कि हस्तगत दुर्घटना की रिपोर्ट फरियादी कमलेश द्वारा उसके सामने की गई थी, जबकि साक्षी नारायण अ.सा.05 का कहना है कि घटना की रिपोर्ट नारायण द्वारा की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 पर रिपोर्टकर्ता के रूप में आहत कमलेश अ.सा.01 का नाम अंकित है, परन्तु उस पर कमलेश अ.सा.01 के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी दशा में इस वावत् कमलेश अ.सा.01, नारायण अ.सा.05 एवं पुत्तू अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। पुत्तू अ.सा.08 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश का नाम दर्शित किया है, जबकि उसके पुलिस कथन में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश का नाम या उक्त चालक की कद-काठी, रूप-रंग आदि पहचान संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। इस प्रकार साक्षी पुत्तू अ.सा.08 द्वारा मात्र न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश को पहचानना एक कमजोर किस्म का साक्ष्य है और ऐसे साक्ष्य से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश की पहचान स्थापित नहीं होती है।

13. अभियोजन साक्षी निहाल सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 30/08/2014 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस झोंकरी से सैनिक 293 सोवरन सिंह द्वारा अपराध क्रमांक 0/14 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की एफआईआर असल कायमी हेतु प्रस्तुत की गई थी।

उक्त एफआईआर के आधार पर उसके द्वारा असल अपराध क्रमांक 296/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना हेतु एफआईआर प्रधान आरक्षक श्रीकृष्ण को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में निहाल सिंह अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जीरो की एफआईआर प्र.पी.04 पर फरियादी के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं।

14. अभियोजन साक्षी श्रीकृष्ण अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 30/08/2014 को थाना मौ की चौकी झोंकरी पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी कमलेश ने उसके भतीजे उमराव के साथ घायल अवस्था में आकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 के चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने एवं उसमें टक्कर मारकर घायल कर देने की मौखिक रिपोर्ट की जाने पर, उसके द्वारा उक्त मोटर साईकिल के चालक के विरुद्ध जीरों की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर थाना मौ असल कायमी हेतु भेजी थी, उक्त जीरों की एफआईआर प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को ही उसे पुलिस थाना मौ से अपराध क्रमांक 296/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसने दिनांक : 30/08/2014 को ही साक्षी उमराव के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 30/08/2014 को उसने साक्षी उमराव एवं पुत्तू के एवं दिनांक : 02/09/2014 को साक्षी नारायण एवं कालीचरन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 02/09/2014 को आरोपी राकेश से मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था। तत्पश्चात् आरोपी राकेश को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी को सौंप दी थी।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में श्रीकृष्ण अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे जीरों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 लेखबद्ध कराते समय फरियादी कमलेश ने आरोपी का नाम नहीं बताया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक श्रीकृष्ण अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि फरियादी कमलेश की मोटर साईकिल चलाने वाले पुत्तू बघेल के विरुद्ध भी कायमी हुई है और वह यह नहीं बता सकता कि किस मोटर साईकिल की लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई है। इस प्रकार विवेचना के उपरान्त आरोपी राकेश को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में अभियोजित करने वाले विवेचक श्रीकृष्ण अ.सा.06 का यह कहना कि वह यह

नहीं बता सकता कि किस मोटर साईकिल से आरोपित दुर्घटनाकारित हुई, यह तथ्य अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

16. डॉ.आर विमलेश अ.सा.03 एवं डॉ.एस.के.महेश्वरी अ.सा.04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राकेश ने दिनांक :- 30/08/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे मौ-गोहद लोकमार्ग पर हरनाम पुरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी कमलेश की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी राकेश के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राकेश को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 338 एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.एल./2462 पूर्व से ही उसके पंजीकृत कालीचरन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद